भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2954

बुधवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>गैर-जीवाश्म ईंधन स्त्रोतों को बढ़ाना</u>

2954. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:

सुश्री कंगना रनौतः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आर्थिक विकास में वृद्धि के लिए गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों के उपयोग को बढ़ाने हेतु पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है कि हमारी पचास प्रतिशत बिजली की जरूरतें नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से पूरी हों और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) से (ग): दिनांक 30.11.2025 की स्थिति के अनुसार, देश में कुल गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विदयुत क्षमता 262.74 गीगावाट तक पहुंच गई है, जो कुल स्थापित विद्युत क्षमता के 51% से अधिक है। सरकार ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा और उसमें गति लाने के लिए कई कदम और पहल की हैं ताकि वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता की प्रतिबद्धता को साकार किया जा सके, जैसा कि **अनुलग्नक** में दिया गया है।

अनुलग्नक

दिनांक 17.12.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2954 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को पूरा करने के लिए देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने और उसमें तेजी लाने के लिए कई कदम और पहलें की हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- ग्रिड कनेक्टेड सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड और सतत एवं प्रेषण योग्य अक्षय ऊर्जा (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- अक्षय ऊर्जा खपत को बढ़ावा देने के लिए, अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के बाद अक्षय उपभोग बाध्यता (आरसीओ) ट्रजेक्ट्री को वर्ष 2029-30 तक के लिए अधिसूचित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू आरसीओ की अनुपालना न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। आरसीओ में विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा स्रोतों से खपत की निर्दिष्ट मात्रा भी शामिल है।
- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।
- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान (पीएम जनमन) तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) स्कीम के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना (जनजातीय तथा पीवीटीजी बस्तियों/गांवों के लिए) की शुरूआत की गई।
- सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए, अक्षय ऊर्जा डेवलपरों को बड़े स्तर पर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि एवं ट्रांसमिशन उपलब्ध कराने के लिए योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- सौर और पवन विद्युत की इंटर-स्टेट बिक्री के लिए दिनांक 30 जून, 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं हेतु दिसम्बर, 2030 तक और अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए दिसम्बर, 2032 तक इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों को माफ कर दिया गया है।
- अक्षय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के अंतर्गत नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने और नई सब-स्टेशन क्षमता विकसित करने हेतु वित्तपोषण किया गया है।
- सौर फोटोवोल्टिक उत्पादों (जैसे, सौर पीवी मॉड्यूल, सौर पीवी इन्वर्टर और स्टोरेज बैटरी) और सौर जल तापन प्रणालियों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अधिसूचित किए गए।
- ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क जारी किया गया।
- भारत के लिए संसाधन पर्याप्तता योजना ढांचे के दिशानिर्देश जारी किए गए।
- पांच सौ किलोवाट तक अथवा स्वीकृत विद्युत लोड तक, जो भी कम हो, नेट-मीटरिंग के लिए विद्युत (उपभोक्ता के अधिकार) नियम, 2020 जारी किए गए हैं।

- पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पुनर्शक्तिकरण एवं जीवन विस्तार नीति, 2023 जारी की गई है।
- अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास हेतु अपतटीय क्षेत्रों के पट्टे के अनुदान को विनियमित करने के लिए विदेश मंत्रालय की दिनांक 19 दिसंबर 2023 की अधिसूचना के माध्यम से अपतटीय पवन ऊर्जा पट्टा नियम, 2023 अधिसूचित किए गए हैं।
- प्रोटोटाइप पवन टरबाइन मॉडलों की स्थापना के लिए दिनांक 12 जून, 2025 को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए।
- पवन टरबाइन मॉडलों के लिए पवन टरबाइन मॉडलों और विनिर्माताओं की संशोधित सूची (आरएलएमएम) में शामिल करने/अद्यतन करने की प्रक्रिया दिनांक 31 जुलाई 2025 को जारी की गई। इस संशोधन के तहत आरएलएमएम का नाम बदलकर मॉडलों और विनिर्माताओं की अनुमोदित सूची [एएलएमएम (पवन)] कर दिया गया है और इसमें सूचीबद्ध कंपोनेंटों जैसे ब्लेड, टावर, जनरेटर, गियरबॉक्स और विशेष बियरिंग (मुख्य, पिच और यॉ बियरिंग) का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही, डेटा केंद्रों को भारत के भीतर स्थानांतरित करना अनिवार्य किया गया है और वास्तविक समय डेटा हस्तांतरण को भारत से बाहर प्रतिबंधित किया गया है।
- ALMM-विंड और ALMM - विंड टर्बाइन कंपोनेंट्स (ALMM-WTC) के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) दिनांक 29 अक्टूबर 2025 को जारी की गई, जिसमें आवेदन, सत्यापन, फैक्ट्री निरीक्षण, कंपोनेंट मूल्यांकन और मॉडल पंजीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया का विवरण दिया गया है।
- सौर फोटोवोल्टेक मॉड्यूलों और ग्रिड कनेक्टेड सौर इनवर्टरों के लिए मानक एवं लेबलिंग (एस एंड एल) कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
- तीव्र अक्षय ऊर्जा ट्रैजेक्ट्री के लिए आवश्यक ट्रांसमिशन इन्फ्रास्ट्रक्टर को बढ़ाने के लिए वर्ष 2030 तक की ट्रांसमिशन योजना तैयार की गई है।
- "विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम (एलपीएस नियम)" अधिसूचित किए गए हैं।
- सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद और सतत हरित ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 06 जून, 2022 को विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा) नियम, 2022 अधिसूचित किए गए हैं। वितरण लाइसेंसधारी को उसी विद्युत प्रभाग में स्थित कुल मिलाकर सौ किलोवाट या इससे अधिक के एकल या बहु एकल कनेक्शन के माध्यम से 100 किलोवाट या इससे अधिक की संविदा मांग के साथ किसी भी उपभोक्ता को हरित ऊर्जा खुली पहुंच (ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस) की अनुमति है।
- एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) की शुरुआत की गई है।
- सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि विद्युत की आपूर्ति साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट - एलसी) या अग्रिम भुगतान के माध्यम से की जाएगी ताकि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।
